

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया गया।
जहाँ अखिलेश्वर द्वारा प्रार्थना पत्र अर्जित
आदेश ७ नियम ५ CPC प्रस्तुत कर विवेक
किया कि पत्रावली 28/6/25 को मुनक्की
हेतु मुकदमे की एवं अखिलेश्वर के पास
गलत पेशी लखनऊ ले लंबाईत होने
ले उक्त तारीख को उपस्थित नहीं होकर
प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर गुणावगुण के आधार
पर निर्णय हेतु पत्रावली को मुनक्की, वेल्थोर
करके हेतु विवेक किया। जहाँ ठ
विवेक लीकाए कर पत्रावली को उमी
मंथर पर वेल्थोर किमें जाने के आदेश
दिने जाते हैं। पत्रावली कैमल कुमार
द्वारा दाखिल कर दी गई।